उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-5/2020/579/तीस-4-2020-8(19)/2018 टीसी,
लखनऊः दिनांकः 23 जून, 2020

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी अधिसूचना संख्या-2001/30-4-09-8(19)/09, दिनांक 28 अक्टूबर, 2009 में निम्नलिखित संशोधन करती हैं:-

संशोधन

पूर्वोक्त अधिसूचना में, परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

"परन्तु यह और कि उत्तर प्रदेश में विनिर्मित इलेक्ट्रिक यानों के लिये सारणी के क्रमांक-1 और 2 के सम्मुख स्तम्भ संख्या 2 में उल्लिखित मोटर यानों को स्तम्भ संख्या-3, 4 व 5 में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर पर पचहत्तर प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

उपर्युक्त छूट उत्तर प्रदेश में विनिर्मित, विक्रीत तथा रजिस्ट्रीकृत समस्त श्रेणियों के प्रथम एक लाख इलेक्ट्रिक यानों पर लागू होगी।"

स्पष्टीकरणः इस परन्तुक के प्रयोजनार्थ इलेक्ट्रिक यान का तात्पर्य उन समस्त मोटर यानों (आटोमोबाइल्स) से है, जो इलेक्ट्रिक मोटर के उपयोग से बैटरी, अल्ट्रा-कैपेसिटर्स अथवा फ्यूल सेल्स से चालित हों। इसमें समस्त 2-व्हीलर, 3-व्हीलर एवं 4-व्हीलर हाईब्रिड इलेक्ट्रिक यान (एचवीवी), इलेक्ट्रिक व्हीकिल-इन प्लग (पीएचईवी), बैटरी इलेक्ट्रिक यान (बीईवी) तथा फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक यान (एफसीईवी) सम्मिलित हैं।

आज्ञा से,

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-5/2020/579/तीस-4-2020-8(19)/2018 टीसी, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 23 जून, 2020 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या-5/2020/579/तीस-4-2020-8(19)/2018 टीसी, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-5/2020/579/तीस-4-2020-8(19)/2018 टीसी, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, न्याय/वित्त/औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
9- विधायी अनुभाग-1
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in